भारतीय डाक विभाग

कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश सर्किल, शिमला - 171009

संख्या: - आर. एंड. ई./77-8/2021-खेल

शिमला दिनांक 25-10-2021.

सीधी भर्ती में खेल कोटा के लिए निर्धारित 5% आरक्षण के अंतर्गत डाक विभाग हिमाचल प्रदेश परिमण्डल द्वारा मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अधिसूचना।

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश डाक परिमण्डल द्वारा रिक्ति वर्ष 2021 तक के लिए निम्नलिखित ग्रुप "सी" पदों के लिए, खेल कोटा के तहत खुले बाजार से योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए प्रोफार्मा (अनुलग्नक-ए) में भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

संवर्ग	रिक्तियों की संख्या	डिवीजन / यूनिट, जहां रिक्तियां मौजूद हैं	पदों की संख्या	वेतनमान
डाक सहायक/ छंटाई सहायक	13	चंबा	1	वेतन स्तर-4 (रु.25,500- 81,100)
		देहरा	1	
		धर्मशाला	2	
		हमीरपुर	2	
		मंडी	1	
		आर .एस.एम.मंडी	1	
		रामपुर बुशहर	1	
		शिमला	2	
		सोलन	1	
		ऊना	1	
		योग	13	
पत्रवाहक	2	सोलन	1	वेतन स्तर – 3 (रु. 21,700 – 69,100)
		मंडी	1	
		कुल योग	2	
मल्टी टास्किंग स्टाफ	3	मंडी	1	वेतन स्तर – 1 (रु. 18,000 – 56,900)
		धर्मशाला	1	
		शिमला	1	
		कुल योग	3	

Assistant Director (Staff) * O/o CPMG Shimla *

नोट:- उम्मीदवार डाक सहायक/ छंटाई सहायक या पोस्टमैन या मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए या उपरोक्त सभी पदों के लिए या उपरोक्त पदों में से किसी संयोजन के लिए एक ही आवेदन में आवेदन कर सकते हैं।

नियम और निर्देश: -

1. निर्धारित आयु सीमा:-

(i) डाक सहायक / छंटाई सहायक / पत्रवाहक के पदों के लिए आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि यानी 15.12.2021 को 18-27 वर्ष है।

(ii) मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि यानि15.12.2021 को 18-25 वर्ष है।

(iii) केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है, के लिये आयु सीमा :- 40 वर्ष

(iv) विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है:

अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के मामले में---------- 3 साल

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में-------- 5 वर्ष

ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट :-

इसके अलावा सभी श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की विशेष छूट स्वीकार्य होगी। यह रियायत केवल उन व्यक्तियों के वर्ग/श्रेणी के संबंध में स्वीकार्य होगी, जिनसे आवेदक संबंधित है और खिलाड़ी जो शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और एक उल्लेखेति प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

नोट 1: आयु सीमा व शिक्षा प्रमाण पत्र इत्यादि सहित सभी पात्रता मापदंडों के लिए निर्धारण तिथि (Cut off date) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानि 15-12-2021 रहेगी ।

नोट 2: जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल मैट्रिक प्रमाण पत्र / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे।

2. आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं/योग्यताएं : -

(i) पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट/पोस्टमैन के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय (व्यावसायिक धाराओं को छोड़कर) से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

ii) उच्च शैक्षणिक योग्यता को चयन प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं दिया जायेगा

Assistant Director (Staff)

(iii) उम्मीदवार को आवश्यक मानक तक कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात अंग्रेजी / हिंदी में क्रमशः 35/30 शब्द प्रति मिनट की गति। यह शर्त केवल मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती है।

iv) पोस्टमैनमल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हि/माचल प्रदेश की स्थानीय भाषा यानि हिंदी का अध्ययन कम से कम वीं कक्षा तक होना10अनिवार्य है।

v) पत्रवाहक के पद के लिए चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के दो साल की अवधि के भीतर दोपहिया या तिपहिया या हल्के मोटर वाहन .एल)एम.वी चलाने के लिए वैध ड्राइविंग (.लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

3. अनिवार्य खेल अहर्ताएं/योग्यताएं:-

इन आदेशों के तहत खिलाड़ियों की नियुक्ति निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में की जाएगी:-

(i) खिलाड़ी जिन्होंने इन अनुदेशों में उल्लिखित किसी भी खेल/ खेलों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है (प्रमाण पत्र, प्रपत्र 1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये) अथवा जिस खिलाडी ने इन अनुदेशों में उल्लिखित किसी भी खेल/ खेलों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो । (प्रमाणपत्र प्रपत्र 2 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये)

(ii) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने समय-समय पर संशोधित इन निर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी खेल/ खेलों में अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्डों द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। (प्रमाण पत्र प्रपत्र 3 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये)

iii) खिलाड़ी जिन्होंने इन अनुदेशों में उल्लिखित किसी भी खेल /खेलों में अखिल भारतीय विद्यालय खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल /खेलों में राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। प्रमाण पत्र प्रपत्र 4 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये|

iv) खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय शारीरिक सक्षमता अभियान के अंतर्गत शारीरिक सक्षमता में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो। प्रमाण पत्र प्रपत्र 5 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये|

4. मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए योग्य खेल विषयों की सूची:-

क्रम सं.	खेल अनुशासन का नाम	क्रम सं.	खेल अनुशासन का नाम	क्रम सं.	खेल अनुशासन का नाम
1	तीरंदाजी	23	हैंडबाल	44	रोलर स्केटिंग
2	एथेलेटिक्स	24	हॉकी	45	रोइंग
3	अट्या –पट्या	25	आइस हॉकी	46	रग्बी
4	बैडमिंटन	26	आइस स्केटिंग	47	सेपक टकरा
5	बॉलबैडमिंटन-	27	आइस स्कीइंग	48	सॉफ्ट बॉल
6	बेसबॉल	28	जुडो	49	सॉफ्ट टेनिस
7	बास्केटबाल	29	कबड्डी	50	स्क्वाश
8	बिलियर्ड्स और स्नूकर्स	30	कराटे	51	तैराकी

Assistant Director (Staff) * O/o CPMG Shimla *

9	बाडीबिल्डिंग-	31	कयाकिंग और कैनोइंग	52	टेबल टेनिस
10	मुक्केबाज़ी	32	खोखो-	53	तायक्वोंडो
11	ब्रिज	33	कूडो	54	रिंग टेनिस (Tenni-Koit)
12	कैरम	34	मलखंब	55	टेनिस
13	शतरंज	35	मोटर स्पोर्ट्स	56	टेनपिन बाउलिंग (Tenpin Bowling)
14	क्रिकेट	36	नेट बॉल	57	ट्राइथलॉन
15	साइकलिंग	37	पैरा स्पोर्ट्स) पैरा ओलंपिक और पैरा एशियाई खेलों में शामिल खेल अनुशासन के लिए(	58	रस्साकशी
16	साईकिल पोलो	38	पेनकक सिलाट	59	वालीबाल
17	बधिर खेल	39	पोलो	60	भारोत्तोलन
18	घुड़सवारी	40	पावर लिफ्टिंग	61	वुशु
19	फेंसिंग	41	शूटिंग	62	कुश्ती
20	फुट्बाल	42	शूटिंग बॉल	63	नौकायन
21	गोल्फ	43	रोल बॉल	64	टेनिस बॉल क्रिकेट
22	जिम्नास्टिक				

5. खिलाडियों की भर्ती के लिए पात्रता पर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची:-

क्रम संख्या	स्पर्धा	प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी-	प्रपत्र संख्या, जिसमें प्रमाण पत्र दिया जाना है (संलग्न)
1	अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा	संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के सचिव	1
2	राष्ट्रीय स्पर्धा	संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के सचिव अथवा राज्य संस्था के सचिव	2
3	अंतरविश्वविद्यालय टूर्नामेंट-	संबंधित विश्वविद्यालय के डीन स्मस्त खेलों के प्रभारी अथवा (खेल) अन्य अधिकारी	3
4	विद्यालयों के लिए राष्ट्रीयक्रीडाएं/खेल/	राज्य के स्कूलों के लिए सार्वजनिक अनुदेशशिक्षा निदेशालय के समस्त खेलों / संयुक्त या उपनिदेशक/ के निदेशक	4

Assistant Director (Staff) * O/o CPMG Shimla *

5	शारीरिक सक्षमता अभियान	भारत सरकार के शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय में सचिव अथवा समस्त शारीरिक सक्षमता के प्रभारी अन्य अधिकारी	5

नोट: - खेल योग्यता प्रमाण पत्र उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए और तभी मान्य होगा जब प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसे हस्ताक्षरित किया गया हो।

6. परिवीक्षा/प्रशिक्षण:- चयनित अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और उन्हें नियमानुसार प्रशिक्षण लेना होगा व विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी।

7. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.12.2021 होगी।

8. निर्हर्ताए :- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित है विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नि के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

9. चयन का तरीका: -

(i) सभी पात्र उम्मीदवारों को अर्हक प्रकृति के अनिवार्य कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। अंग्रेजी माध्यम चुनने वाले उम्मीदवार की टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी माध्यम चुनने वालों की टाइपिंग स्पीड 30शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये । एम. टी. एस. पदों के लिये यह शर्त लागू नहीं है।

)ii) उम्मीदवारों का चयन कड़ाई से डी.सं.कार्यालय ज्ञापन एफ .टी.पी.ओ.14034/01/2013 (डी) स्था- अक्टूबर 3 दिनांक, के आधार पर किया जाएगा। 2013

(iii) चयन के लिए खेलों का कोई फील्ड ट्रायल नहीं होगा।

(iv) डाक सहायक या छंटाई सहायक के रूप में चयन होने पर उम्मीदवारों को आवंटित पदों पर उम्मीदवारों की पुष्टि के लिए हिंदी भाषा में दक्षता हासिल करनी होगी।

उपरोक्त पैरा 9(i) में उल्लिखित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र उम्मीदवारों के चयन हेतु वरीयता क्रम:-

(क) उन उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिन्होंने युवा मामले एवं खेल विभाग की सहमति से किसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) अगली वरीयता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी, जिन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों अथवा युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर स्तर की

Assistant Director (Staff) * O/o CPMG Shimla *

राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में किसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और तीसरे दर्जे तक का पदक या स्थान प्राप्त किया हो। सीनियर तथा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेलों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से सीनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने व पदक जीतने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

(ग) अगली वरीयता उन्हें दी जाएगी जिन्होंने भारतीय विश्विद्यालयों की एसोसिएशन/ अंतर विश्विद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर विश्विद्यालय स्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया हो और फाइनल में तीन स्थानों पर रहे हों या पदक हासिल किया हो।

(घ) अगली वरीयता उन्हें दी जाएगी जिन्होंने, अखिल भारतीय स्कूल खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल/विद्यालयों के खेल में, राज्य के स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया हो और तीसरे स्थान तक पदक स्थान हासिल किया हो।

(ड.) अगली वरीयता उन्हें दी जाएगी जिन्होंने राष्ट्रीय शारीरिक सक्षमता अभियान के तहत शारीरिक सक्षमता में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो।

च (अगली वरीयता उन्हें दी जाएगी जिन्होंने श्रेणी में उल्लिखित (घ) से (ख)उसी क्रम में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / राज्य स्कूल / विश्वविद्यालयस्तर पर टीमों का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पदक या स्थिति नहीं जीत सके।

नोट 1: बराबरी होने की स्थिति में जिन्होंने उच्च स्थान प्राप्त करने वाले या एक से अधिक पदक जीतने वालों को प्रचलित नियमों के अनुसार वरीयता दी जा सकती है ।

नोट 2: व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में भागीदारी को समान वरीयता दी जाएगी।

नोट 3: एक पदक/स्थान से अधिक जीतने के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

नोट 4: टूर्नामेंट के स्तर के बारे में किसी भी संदेह के मामले में, ममले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा खेल और युवा मामले विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

नोट 5: सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।

(डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन फा.सं.14034/01/2013-स्था.(घ)दिनांक 3 अक्टूबर, 2013)

10. आवेदन प्रसंस्करण और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का शुल्क:-

क्रम सं.	उम्मीदवार श्रेणी	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क	भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का शुल्क	कुल शुल्क	भुगतान का तरीका/टिप्पणी
1	अनारक्षित, ई.डब्ल्यू./ एस. और ओ.बी.सी. उम्मीदवार	रु. 100/-	रु. 300/-	रु. 400/-	बिलर आई.डी-70124 के तहत भारत के किसी भी कम्प्यूटरीकृत डाकघर में ईभुगतान - के माध्यम से जमा किया जाना है।
2	अनुसूचित जातिअनुसूचित / /महिला/जनजाति शारीरिक रूप से विकलांग	रु. 100/-	शून्य	रु. 100/-	उपरोक्त

Director (Staff)

नोट: - (i) कम राशि या बिना किसी राशि के आवेदन को सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवार को भारत में किसी भी कम्प्यूटरीकृत (सी.एस.आई) डाकघर में सी.पी.एम.जी. एच.पी. सर्किल (राष्ट्रीय ई-बिलर आई.डी. नंबर-70124) के नाम पर चालान फॉर्म (अनुलग्नक-सी) का उपयोग करके ई -भुगतान के माध्यम से ऊपर वर्णित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। ।

(iii) चालान प्रपत्र अधिसूचना के साथ उपलब्ध है व अधिसूचना के साथ डाउनलोड किया जा सकता है, पूरी तरह से भरकर शुल्क का भुगतान किसी भी कम्प्यूटरीकृत (सी.एस.आई.) डाकघर में ई-भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है। डाकघर चालान फॉर्म की एक प्रति अपने पास रखेगा और उम्मीदवार को मुख्य पी.एम.जी. एच.पी. सर्किल शिमला की प्रति और उम्मीदवार की प्रति देनी होगी ।

(iv) डाकघर द्वारा जारी शुल्क की मूल रसीद चालान की मुख्य पी.एम.जी. एच.पी. सर्किल शिमला की प्रति पर चिपकाई जानी चाहिए और आवेदन पत्र के साथ जमा की जानी चाहिए, जबकि उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए उम्मीदवार की प्रति अपने पास रख सकते हैं।

(v) किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(vi) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

11. आवेदकों को विशेष निर्देश:-

(क) आवेदकों से अनुरोध है कि आधिकारिक वेबसाइट यानी "www.indiapost.gov.in" से अन्य प्रारूपों के साथ "आवेदन पत्र" (अनुलग्नक ए) डाउनलोड करें और इसे पूरी तरह से भरें।

(ख) मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाना चाहिए। केवल सत्यापित जेरोक्स / फोटोकॉपी ही भेजी जानी चाहिए।

(ग) आवेदन के साथ सभी वांछित दस्तावेज और प्रमाण पत्र संलगन करें। बाद की तारीखों में भेजे गए गए दस्तावेज/ मार्क शीट/ प्रमाण पत्र इत्यादि स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम अधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में सामुदायिक प्रमाण पत्र, क्रमशः फॉर्म -6 और फॉर्म -7 में जमा किया जाना है। किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र या इसे जारी करने के लिए सक्षम नहीं अधिकारियों से प्रमाण पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ड.) आवेदन केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए। अन्य माध्यम से भेजे गए और हाथ से दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे ।

(च) गलत तरीके से संबोधित या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा, देरी का कारण चाहे कोई भी हो। आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना आवेदन और अधूरे आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।

(छ) अधूरे भरे या अहस्ताक्षरित आवेदन, या बिना फोटो वाले आवेदन या देर से आने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ज) चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक गतिविधियों से गुजरना पड़ता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी पी.टी.सी. या किसी अन्य स्थान पर शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है।

(झ) चयनित उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के एकमात्र निर्देश पर आवश्यकतानुसार सर्किल में और सेना डाक सेवा में भारत में या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ट) उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता या खर्च नहीं दिया जाएगा या कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी और इस संबंध में उम्मीदवारों को अपनी लागत से ही व्यवस्था करनी होगी।

(ठ) विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का चयन, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित भर्ती नियमों एवं प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार होगा।

(ड) विभाग के पास रिक्तियों की संख्या को संशोधित करने या भर्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।ऐसा होने पर विभाग एक बार जमा किए गए शुल्क को वापस करने, या आवेदक के आवेदनों पर किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ढ) अपना आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वह जिस पद के लिए आवेदन किया है, उसके लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(ण) उम्मीदवार रिक्तियों की इकाइयों के संबंध में अपने अधिमान्य विकल्प का उल्लेख कर सकते हैं; जो चयन होने पर योग्यता के अनुसार आवंटित किया जाएगा। किसी भी विकल्प के अभाव में, या चुनी गई इकाई में रिक्ति न होने पर, सी.पी.एम.जी. चयनित उम्मीदवारों को ऊपर उल्लिखित किसी भी इकाई में पोस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(त) किसी विशेष खेल को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

(थ) उम्मीदवार को एक वचन देना होगा कि वह चयनित होने पर कम से कम तीन साल की अवधि के लिए विभाग की सेवा करेगा; अनुलग्नक 'बी' के रूप में संलग्न प्रोफार्मा में।

(द) केवल सूचीबद्ध खेल अनुशासन (अर्थात 64) डाक सहायक / छंटाई सहायक / पत्रवाहक/एम. टी. एस. के रूप में चयन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

12. इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में *"स्पोर्ट्स कोटा के तहत एच.पी. सर्कल में डाक सहायक /छंटाई सहायक/ पत्रवाहक / मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए आवेदन"* के रूप में आवेदन किया जाना चाहिए। हर प्रकार से पूर्ण आवेदन निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर ही भेजे जाने चाहिए:-

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, (आर .एंड .ई .अनुभाग)

एच.पी .सर्कल, कसुम्पटी, शिमला- 171009

13. आवेदन जमा करने से संबंधित निर्देश:-

(i) आवश्यक जानकारी केवल अंग्रेजी या हिंदी में लिखें।

(ii) एक लिफाफे में आवश्यक संलग्नकों के साथ एक उम्मीदवार और केवल एक विषय के लिए आवेदन पत्र होना चाहिए।

(iii) आवेदन वाले लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "डाक सहायक/छंटाई सहायक/पोस्टमैन/मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए।

Assistant Director (Staff) O/o CPMG Shimla

(iv) एक आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आधिकारिक प्रारूप में प्रस्तुत नहीं होने / अधूरी जानकारी / गलत जानकारी / तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व / अहस्ताक्षरित / फोटो-ग्राफ के बिना / आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाएगा।

नोट -1: - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या जन्म तिथि या आवश्यक खेल मानक आदि प्रमाण के रूप में केवल सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जायेंगे । केवल वे प्रमाण पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए हों, आवश्यक खेल मानक आदि रखने के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे ।

नोट-2:- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ संलग्न खेल योग्यता प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किए गए हों या व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किए गए हों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

14. संलग्नकों का विवरण:-

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की फोटोकॉपी विधिवत स्वप्रमाणित आवेदन के साथ भेजी जानी चाहिए।

(i) शैक्षिक योग्यता या 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की सभी अंक सूची।

(ii) खेल योग्यता/उपलब्धियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

(iii) जन्म तिथि का प्रमाण। (मैट्रिक प्रमाण पत्र)

(v) एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो नवीनतम समान पासपोर्ट आकार के फोटो (एक आवेदन पर विधिवत चिपकाया गया और दूसरा नाम और पता पीछे की तरफ लिखा हुआ खुला भेजा गया।)

(vi) विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र पूरी तरह से हस्ताक्षरित वचन के साथ (फॉर्म अनुलग्नक ए और बी संलग्न)

(vii) आवेदक को एक स्वयं के पते वाले लिफ़ाफे को विधिवत रूप से उस पर 45/- रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा।

(viii) डाकघर द्वारा जारी शुल्क की मूल रसीद मुख्य पीएमजी एचपी सर्कल शिमला की प्रति पर चिपकाई जानी चाहिए और आवेदन पत्र के साथ जमा की जानी चाहिए।

15 जाँच सूची

आवेदन जमा करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं की विशेष रूप से सावधानीपूर्वक जांच की जा सकती है और संबंधित कॉलम सही ढंग से भरे गए हैं:

(क) जांचें कि क्या आपने अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर मजबूती से चिपकाया है। (विधिवत स्वप्रमाणित) और आपके आवेदन के साथ दो और तस्वीरें संलग्न हैं।

(ख) अपने पात्रता मानदंड को ध्यान से देखें।

(ग) जांचें कि क्या आपने आवेदन पत्र के सभी कॉलम सही ढंग से भरे हैं और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है।

(घ) जांचें कि आपने संबंधित कॉलम में अपनी समुदाय/श्रेणी की स्थिति सही ढंग से भरी है या नहीं।

(ड.) जांचें कि क्या आवेदन पत्र और अंडरटेकिंग फॉर्म पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं

(च) सुनिश्चित करें कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्रमाणपत्रों (अर्थात शिक्षा, प्रकार / कंप्यूटर ज्ञान, खेल-अनुशासन, समुदाय आदि) की प्रतियां और राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित की गई हैं।

(छ) जांच करें कि क्या डाकघर द्वारा जारी शुल्क की मूल रसीद मुख्य पीएमजी हिमाचल प्रदेश सर्किल शिमला की प्रति पर चिपका दी गई है, जिसे आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना है।

Assistant Director (Staff)

(ज) डाक के साथ स्वयं को संबोधित लिफाफा जिस पर 45/- रु की टिकटें लगी हो।

(झ) क्या आपके पास केवल सूचीबद्ध खेल अनुशासन के प्रमाण पत्र हैं।

16. इस अधिसूचना को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

सहायक निदेशक (स्टाफ)
कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
हिमाचल प्रदेश सर्किल, शिमला –171009

(हिंदी अधिसूचना व अंग्रेजी अधिसूचना की अंतर्वस्तुओं में कोई अंतर या विसंगति पाए जाने की स्थिति में अंग्रेजी अधिसूचना को सही माना जायेगा)

(यह अधिसूचना वेबसाइट यानी www.indiapost.gov.in पर सी.ई.पी.टी. मैसूर के माध्यम से अपलोड करने के लिए है)

Assistant Director (Staff) * Shimla O/o CPMG *

अनुलग्नक-क

हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल में खेल कोटा के तहत डाक सहायकों/छंटनी सहायकों/पोस्टमैन/मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन

पोस्टल सर्कल

(इस आवेदन पत्र को पूरी तरह से निर्देशों को पढ़ने के बाद भरें)

1. पद (ओं) के लिए आवेदन किया(i) पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट ☐i)डाकिया ☐(iii) मल्टी टास्किंग स्टाफ ☐

(कृपया उस पद पर टिक करें जिसके लिए आप आवेदन करने के इच्छुक हैं)

यहां नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं और दो अतिरिक्त ढीली फोटो भी संलग्न करें (स्वप्रमाणित)।

2. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) .....

3. पिता/पति का नाम .....

4. आधार नंबर .....

5. स्थायी पता:- .....

.....

.....

6. पत्राचार पता: - .....

.....

.....

मोबाइल न. ..... ई-मेल .....

7. जन्म तिथि (सबूत संलग्न करें).....

8. आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार आयु अर्थात 15-12-2021 तक वर्ष ..... महीने..... दिन.....

9. क्या आयु में छूट का लाभ उठा रहे हैं:-..... हाँ/नही

10. क्या एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित है ..... हाँ/नही

यदि हां, तो कृपया निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करें

11. राष्ट्रीयता.....

12. शैक्षिक योग्यता: (सत्यापित प्रतियां संलग्न करें) :-

अनुक्रमांक	परीक्षा उत्तीर्ण	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अंक प्राप्त ग्रेड और कुल%		बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
(i)	मैट्रिक या समकक्ष				

(ii)	10+2 or 12th वर्ग या समकक्ष (व्यावसायिक धारा बहिष्कृत) अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ				
(iii)	उच्च योग्यता				
(iv)	खेल उपलब्धियां/प्रमाण पत्र; प्राधिकरण के विवरण जारी करने के साथ (संलग्न- सत्यापित प्रतियां)				

13. (क)अनुशासन का नाम/ खेल के लिए आवेदन किया .....

(ख)क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है ..... (हाँ/नही) स्थिति सुरक्षित.....

(ग) क्या सीनियर या जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है ..... (हाँ/नही) स्थिति सुरक्षित .....

(घ) क्या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है ..... (हाँ/नही) स्थिति सुरक्षित .....

(ड़) क्या राष्ट्रीय खेलों में राज्य के स्कूलों की टीमों का प्रतिनिधित्व किया है/स्कूलों के लिए खेल ..... (हाँ/नही) स्थिति सुरक्षित .....

14. क्या डाक सहायक/सॉर्टिंग सहायक के रूप में चयन के मामले में नियुक्ति के दो साल के भीतर हिंदी में दक्षता हासिल करने के इच्छुक हैं ..... (हाँ/नही) .

15. क्या कंप्यूटर / टाइपिंग का ज्ञान है .....(हाँ/नही)

16. क्या आपने मैट्रिक स्तर तक हिंदी पढ़ी है .....(हाँ/नही), (यदि पोस्टमैन/मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए आवेदन किया है)

17. या आप नियुक्ति के दो साल की अवधि के भीतर दोपहिया या तिपहिया या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हैं: (हाँ/नही) ..... (यदि पोस्टमैन के पद के लिए आवेदन किया है)

18. चुने गए डिवीजन/यूनिट का नाम (अधिमान्य क्रम में) :-

(i).....(ii).....(iii).....(iv).....(v).....

(vi).....(vii).....(viii).....(ix).....

19. शुल्क का विवरण: - (क) रसीद संख्या. _____ (ख) दिनांक _____

(ग) राशि _____ (घ) डाकघर का नाम जहां शुल्क जमा किया गया _____

20. घोषणा:-

(क) मैं श्री/श्रीमती/कुमारी _____ एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि बाद में कोई सूचना असत्य पाई जाती है, तो मुझे दण्डित किया जा सकता है और मेरी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। मैं यह भी समझता हूं कि किसी भी कारण से नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने में मेरी विफलता की स्थिति में, उचित कानूनी कार्रवाई के अलावा मेरा चयन रद्द किया जा सकता है।

(ख) मैं श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी गांव/नगर/शहर _____ जिला _____ राज्य _____ एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं _____ समुदाय से संबंध रखता हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था। (एससीटी) दिनांक 08-09-1993 में निहित अभिलेखों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है । यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08-09-1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

संलग्न दस्तावेज: -

1 _____
2 _____
3 _____
4 और इसी तरह

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

बाएं हाथ (महिला के मामले में दाहिना हाथ) उम्मीदवार के अंगूठे का निशान ⇨	

दिनांक:
स्थान:

जरूरी:-

1. आवेदन और लिफाफों के ऊपर स्पष्ट रूप से उस पद का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए आवेदन किया गया है।
2. आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या regd पोस्ट द्वारा भेजे जाने चाहिए। अन्य माध्यम से या हाथ से भेजे गए लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. एक स्व-संबोधित लिफाफा विधिवत रूप से रु 45/- की डाक टिकट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

अनुबंध 'क'

पैरा क.V में तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित नमूना फॉर्म

फॉर्म ।

(किसी मान्यता प्राप्त गेम/खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

राष्ट्रीय _____संघ/राष्ट्रीय_____एसोसिएशन

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री_____और निवासी _____ ने

(पूरा पता)

_____ से _____ तक _____ में आयोजित_____

प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ गेम/स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया है ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय_____संघ/राष्ट्रीय_____एसोसिशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

स्थान_____

दिनांक_____

हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

संघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन

का नाम_____

पता_____

मोहर_____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र सचिव, राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-स्था. (घ) का अनुबंध)

फॉर्म-2

(किसी मान्यता प्राप्त गेम/खेल की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

_____के_____गेम में राज्य_____एसोसिएशन

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री_____और निवासी _____ ने
(पूरा पता)
_____ से _____ तक _____ में आयोजित_____
राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ गेम/स्पर्धा में_____राज्य का प्रतिनिधित्व किया है ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र राज्य_____एसोसिशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

स्थान_____

दिनांक_____

हस्ताक्षर_____
नाम_____
पदनाम_____
राज्य एसोसिएशन
का नाम_____
पता_____

मोहर_____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र सचिव, राज्य एसोसिएशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-स्था. (घ) का अनुबंध)

फॉर्म-3

(किसी मान्यता प्राप्त गेम/खेल की अंतर विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

_____विश्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री_____और निवासी _____

(पूरा पता)

छात्र_____ने_____से_____तक

_____ में आयोजित_____ अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता/टूर्नामेंट

में _____ गेम/स्पर्धा में_____ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र _____विश्वविद्यालय में खेलकूद संकायाध्यक्ष या खेलकूद के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

स्थान_____

दिनांक_____

हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

विश्वविद्यालय

का नाम_____

पता_____

मोहर_____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र _____ विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष/निदेशक या खेलकूद के प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-स्था. (घ) का अनुबंध ख)

फॉर्म-4

_____ राज्य सार्वजनिक सूचना/शिक्षा निदेशालय

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री_____और निवासी _____

(पूरा पता)

छात्र_____ ने _____ से _____ तक _____ में आयोजित_____ राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद में _____ गेम/स्पर्धा में_____राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया है ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र _____राज्य के सार्वजनिक सूचना/शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

स्थान_____

दिनांक_____

हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

पता_____

मोहर_____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र राज्य के सार्वजनिक सूचना/शिक्षा निदेशालय के स्कूल खेल/गेम के प्रभारी निदेशक या अपर/संयुक्त अथवा उप-निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-स्था. (घ) का अनुबंध ख)

फॉर्म-5

(शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित शारीरिक क्षमता प्रदर्शनों में पुरस्कार पाने वालों हेतु)

भारत सरकार/यूवा कार्य एवं खेल-कूद विभाग

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री_____और निवासी _____

(पूरा पता)

ने_____ से _____ तक _____ में आयोजित_____

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में_____ गेम/स्पर्धा में_____स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया है ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

स्थान_____

दिनांक_____

हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

पता_____

मोहर_____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव या शारीरिक क्षमता के प्रभारी कोई अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-स्था. (घ) का अनुबंध ख)

FORM – 6

FORM OF CASTE CERTIFICATE AS PRESCRIBED IN M.H.A.O.M No 42/21/49/N.G.S dated 28-01-1952, AS REVISED IN DEPT. OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS, LETTER No. 36012/6/76-Est. (S.C.T) DATED 29-10-1977, TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBE IN SUPPORT OF HIS CLAIM.

FORM OF CASTE CERTIFICATE

This is to certify that Shri./ Shrimati/ Kumari _____
Son/ Daughter of _____ of village/ town _____
In District/ Division _____ of the State/ Union Territory _____
_____ belongs to the _____ caste/ tribe which is recognized as a scheduled Caste/ Scheduled Tribe under :

The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950
The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
* The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
* The constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North –Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

* The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.
* The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Schedules Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1956.
* The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
* The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order), 1962
* The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
* The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1964
* The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
* The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
* The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
* The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
* The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
* The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990
* The Constitution (Scheduled Tribes) Orders Amendment Act, 1991

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Sri/Srimati * _____ father/mother* of Sri/Srimati/Kumari* _____ of village/ town * _____ in District/ Division * _____ of the State/ Union Territory * _____ who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe * in the State/ Union Territory * _____ issued by the _____ dated _____

3. Sri/ Srimati/ Kumari * _____ and/ or * his/her * family ordinarily reside(s) in village/ town * _____ of _____ District/ Division * of the State/ Union Territory * of _____

Place:
Date:
State/ Union Territory

Signature :
Designation :
(With seal of Office)

NOTE: The term " Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the peoples act. 1950.

* Please delete the words which are not applicable.

The under-mentioned authorities have been empowered to issue Caste Certificates of verification:

1. District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner / Additional Deputy commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family normally resides.

FORM -7

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

[Government of India, Department of Personnel and Trainig, O.M No. 36033/28/94-Estt. (Res.) dated 02-07-1997]

This is to certify that Shri/ Srimati/ Kumari* _____ son/ daughter * of _____ of village * _____ District/ Division * _____ in the _____ State_____ belongs to the _____ community which is recognized as a Backward Class under –

*(i) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/68/93-BCC(C). dated 10-09-1993, published in the Gazette of India. Extraordinary . Part-I, Section I No. 186, dated the 13th September 1993.

*(ii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19-10-1994, published in the Gazette of India. Extraordinary Part-I Section 1. No 163 dated 20th October 1994.

*(iii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/7/95-BC, dated 24-05-1995, published in the Gazette of India. Extraordinary. Part-I Section !. No 88, dated the 25th May 1995.

* (iv) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/44/96-BCC. Dated 6th December, 1996, published in the Gazette of India. Extraordinary. Part-I Section 1. No. 210, dated the 11th December, 1996.

Sri/ Srimati/ Kumari* _____ and/ or his family ordinarily reside(s) in the _____ District/ Division * of the _____ State. This is also to certify that he/ she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India. Department of Personnel and Training , O.M No 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08-09-1993.

Place:
Date:

Seal

Signature of District Magistrate
Deputy Commissioner. Etc

---

*Strike out whichever is not applicable.

Note: (a) The term,'ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People's Act 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste certificates are indicated below:

(i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of First Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar: and

(iv) Sub divisional Officer of the area where the candidate and or/ his family normally resides.

Annexure C

Copy to be retained by the concerned Post Office

e - Payment

Challan for application fee for recruitment of meritorious sports persons in Himachal Pradesh Postal Circle

National e-Biller ID: 70124
e-Biller name: HP Postal Circle

Details of the candidate (to be filled by the candidate)

Name of the candidate:.....

Father's Name : .....

Mother's Name: .....
Fee paid: In figure (.....)In words
(.....)
Date of deposit: .....
Receipt No:.....

Name of Post Office along with State name:

Signature of Candidate **Signature of PA with Stamp of Post Office**

Copy to be sent to Chief PMG, HP Circle, Shimla along with application

e-Payment

Challan for application fee for recruitment of meritorious sports persons in Himachal Pradesh Postal Circle
National e-Biller ID: 70124
e-Biller name: HP Postal Circle

Details of the candidate (to be filled by the candidate)

Name of the candidate:

Father's Name :

Mother's Name:
Fee paid: In figure (Rs.....)
In words
(Rs.....)
Date of deposit:.....
Receipt
No.....
.....
Name of Post Office:
.....

Paste Receipt here

Signature of Candidate **Signature of PA with Stamp of Post Office**

Copy to be retained by the candidate

e - Payment

Challan for application fee for recruitment of meritorious sports persons in Himachal Pradesh Postal Circle
National e-Biller ID: 70124
e-Biller name: HP Postal Circle

Details of the candidate (to be filled by the candidate)

Name of the candidate:

Father's Name :

Mother's Name:
Fee paid: In figure
(Rs.....)
In words (.....)
Date of deposit:.....
Receipt
No:.....

Name of Post Office along with State name:

Signature of Candidate **Signature of PA with Stamp of Post Office**

Annexure B

DEPARTMENT OF POSTS, INDIA

भारतीय डाक

India Post

FORM OF UNDERTAKING

On my appointment the Postal Department in relaxation of the normal rules of recruitment, I hereby undertake and bind myself that I shall serve the Department atleast for a period of three years and shall also faithfully take part in sports events for which I may be selected, by the appropriate authority and that I shall also represent the Department in National Games when called upon to do so.

Signature

Name of Applicant

Date:
Place: